रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 1973/भाद्रपद 8, 1895
No. 198] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1973/BHADRA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th August 1973

SUBJECT.—*Supply of imporetd steel for export Production.*

No. 141-ITC(PN)/73.—Attention of all registered exporters is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 86-ITC(PN)/73, dated the 5th June, 1973 and No. 105-ITC(PN)/73, dated the 23rd June, 1973 on the subject mentioned above.

2. In partial modification of the provisions contained in para 4 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 86-ITC(PN)/73, dated 5th June, 1973, it has been decided that the Hindustan Steel Ltd. would give an indication of the c.i.f prices of various steel items, permissible for import under Public Notice No. 56-ITC(PN)/72, dated 18th April, 1972, by notifying the c.i.f. prices effective for two monthly periods on the basis of the international prices ruling in the General Currency Area. On the basis of these prices, the Engineering Export Promotion Council, Calcutta, would scrutinise the contracts and would entertain only those contracts where the f.o.b. value of exports would be atleast 25 per cent higher than the c.i.f. value of all imported inputs including steel required for the fabrication of the export products. For steel, this determination would be made by taking into consideration the entire quantum of steel required, irrespective of whether the steel requirements are obtained from indigenous or imported supplies. The D.G.T.D. Engineering Export Promotion (Cell) would make a further general scrutiny of the value added before recommending supply of imported steel under the Ministry of Commerce Public Notice No. 105-ITC(PN)/73, dated 23rd June, 1973.

3. The following points are also clarified in this connection:—

(i) A single export contract, concluded prior to 5th June, 1973, should be honoured *only* to the extent of letter of credit established before 5th June, 1973.

(ii) Against an export contract, concluded by 5th June, 1973 but not supported by letter of credit, the Hindustan Steel Ltd. will supply material at the normal prices *subject* to the condition that refund of excess prices charged would be allowed if within a period of 45 days, the party renegotiates the contract so as to obtain a minimum of 25 per cent value added and produces the amended contract duly recommended by the EEPC and the DGTD.

(iii) As notified in Public Notice No. 130-ITC(PN)/73, dated 8th August, 1973, the provisions of Public Notices No. 86-ITC(PN)/73, dated 5th June, 1973 and No. 105-ITC(PN)/73, dated 23rd June, 1973 will not be applicable in cases of supply of imported steel under Public Notice No. 192-ITC(PN)/72, dated 23rd December, 1972 for the execution of orders including State Electricity Boards and financed under IDA Credit.

(iv) In cases of export contracts financed under IBRD/Asian Development Bank, the provisions of Public Notices No. 86-ITC(PN)/73, dated the 5th June, 1973, and No. 105-ITC(PN)/73, dated 23rd June, 1973 will also not be applicable if the submission of the bid in response to the tender issued under IBRD/ADB loans was prior to the 5th June, 1973.

(v) In cases of export contracts financed under IBRD/ADB and where the bids have been made on or after the 5th June, 1973, it has been decided to supply imported steel under Public Notice No. 56-ITC(PN)/72, dated the 18th April, 1972 *when the value added is a minimum of 20 per cent (and not 25 per cent)* in the interest of developing contacts abroad as also securing on a continuing basis, as large a proportion of the business generated by these international institutions as possible.

(vi) The stipulations contained in sub-paras (iv) and (v) above will also be applicable to contracts secured in response to tenders issued by foreign governments and public utilities even when they are not financed by the international institutions.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1973

विषय : निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात का संभरण ।

संख्या 141–आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 86–आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 5 जून, 1973 और संख्या : 105–आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 23 जून, 1973 की ओर सभी पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 86–आई टी सी (पी एन) / 73, दिनांक 5–6–73 के पैरा 4 में निहित शर्तों में आंशिक आशोधन करते हुए यह निश्चय किया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० सार्वजनिक सूचना संख्या : 56–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 18–4–72 के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय इस्पात की विभिन्न मदों की लागत-बीमा-भाड़ा कीमतों का निर्देशन सामान्य मुद्रा क्षेत्र में प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर दो मास की अवधियों के लिए लागू लागत-बीमा-भाड़ा, कीमतों को अधिसूचित करते हुए करेगी । इंजीनियरिंग

एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, कलकत्ता इन कीमतों के श्राधार पर संविदाओं की जांच करेगी श्रौर केवल उन संविदाओं पर विचार करेगी जिन में निर्यातों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात सहित सभी श्रायातित निवेशों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगा । इस्पात के लिए यह निर्धारण, इस्पात की श्रावश्यकताएं देशी संभरण या श्रायातित संभरण से प्राप्त की गई है, इस बात को ध्यान में न रखते हुए, अपेक्षित इस्पात की सम्पूर्ण मात्रा को विचार में रखते हुए किया जाएगा । महानिदेशालय तकनीकी विकास (इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन सैल) वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 105–श्राईटी सी (पी एन)/73, दिनांक 23–6–73 के अन्तर्गत आयातित इस्पात के संभरण की सिफारिश करने से पहले संकलित किए गए मूल्य की श्रोर भी सामान्य जांच करेगी ।

3. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट की जाती हैं :—

(1) 5 जून, 1973 से पहले निर्णीत केवल एक मात्र निर्यात संविदा केवल 5–6–73 से पहले स्थापित किए गए साखपत्र की सीमा तक समादृत होनी चाहिए ।

(2) 5–6–73 तक निर्णीत परन्तु साख पत्र द्वारा न समर्थित निर्यात संविदा के प्रति हिन्दुस्तान स्टील लि० सामान्य कीमतों पर माल का संभरण करेगी यह इस शर्त के अधीन होगा कि यदि 45 दिनों की अवधि के भीतर संकलित मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए पार्टी संविदा का पुनः समझौता करती है श्रौर संशोधित संविदा को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल श्रौर महानिदेशालय, तकनीकी विकास द्वारा विधिवत् स्वीकृत, प्रस्तुत करती है ।

(3) जैसा कि सार्वजनिक सूचना संख्या: 130–श्राईटीसी (पी एन)/73, दिनांक 8–8–73 में अधिसूचित किया गया है, सार्वजनिक सूचना संख्या: 86–श्राईटीसी (पी एन) /73, दिनांक 5–6–73 श्रौर संख्या: 105–श्राईटी सी (पी एन)/73, दिनांक 23–6–73 की शर्तें सार्वजनिक सूचना संख्या: 192–श्राईटीसी (पी एन)/72, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 के अधीन आयातित इस्पात के संभरण के मामलों में राज्य विद्युत् बोर्ड सहित श्राई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए श्रादेशों के निष्पादन के लिए लागू नहीं होंगी ।

(4) यदि श्राई बी श्रार डी / ए डी बी ऋणों के अन्तर्गत जारी की गई निविदा के प्रत्युत्तर में बोली का प्रस्तुतीकरण 5 जून, 1973 से पहले हुश्रा था तो श्राई बी श्रार डी / एशियन डिवेलपमेंट बैंक के अधीन वित्तदान की गई निर्यात संविदाओं के मामले में सार्वजनिक सूचना संख्या: 86– श्राई टी सी (पीएन) /73, दिनांक 5–6–73 श्रौर संख्या: 105–श्राई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 23–6–73 की शर्तें भी लागू नहीं होंगी ।

(5) विदेशों में संविदाओं का विकास करने की अभिरुचि से श्रौर जहां तक संभव हो इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवसाय के अनुपात की लगातार वृद्धि की रक्षा के लिए श्राई बी श्रार डी / ए डी बी के अन्तर्गत वित्तदान की गई निर्यात संविदाओं के मामलों में श्रौर जिन में बोलियां 5 जून, 1973

को बाद में खोली गई हैं उन में जब संकलित मूल्य न्यूनतम 20 प्रतिशत (और 25 प्रतिशत नहीं) है तो सार्वजनिक सूचना संख्या: 56-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 18-4-72 के अन्तर्गत प्रमाणित इस्पात का संभरण करने का निश्चय किया गया है ।

(6) उपर्युक्त उप-पैरा (4) और (5) में निहित शर्तें विदेशी सरकारों और जनता उपकारकों द्वारा जारी की गई निविदाओं के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गई संविदाओं के लिए भी लागू होंगी चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वित्तदान न की गई हों ।

एम० जी० बांस० मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973